बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः— वृहद् क्षेत्र के रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन।

वृहद् औद्योगिक प्रक्षेत्र के रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अधीन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो वृहद् प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले एन0सी0एल0टी0 में रूग्ण निबंधित औद्योगिक इकाइयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। एन0सी0एल0टी0 द्वारा अनुमोदित पूनर्वास योजना पर यह समिति विचार करेगी। यह समिति इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु यथावश्यक तथा नीतिगत वक्तव्य में वर्णित बिन्दुओं समेत रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा करेगी एवं अनुशंसाएँ अन्तिम निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से रखी जाएगी। समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :—

(i)	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	—	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना या उनके प्रतिनिधि	—	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव / सचिव, सांस्थिक वित्त, बिहार, पटना	—	सदस्य
(v)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विद्युत वितरण कं0 लि0, पटना	—	सदस्य
(vi)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम	—	सदस्य
(vii)	राज्यस्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना के संयोजक	—	सदस्य
(viii)	महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना	—	सदस्य
(ix)	निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना	—	सदस्य संयोजक

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की वृहत उद्योगों में रूग्णता की कंडिका 9.3 की 9.3.1 से 9.3.4 में वर्णित प्रक्रिया एवं बिन्दुओं तथा नीतियों का अनुपालन यह समिति सुनिश्चित करेगी।

3. यह समिति इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु यथावश्यक रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा करेगी जिसे राज्य सरकार के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकृत समिति के माध्यम से रखा जायेगा।

4. समिति की बैठक हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3/4/2018

(डा0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

n.k.-01

ज्ञापांकः– 531 /पटना, दिनांक– 03.04.18

संoसंo– 4 तकo/रूग्ण उद्योगों का पुनर्वास/47/2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियाँ उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।

3/4/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 531 /पटना, दिनांक– 03.04.18

संoसंo– 4 तकo/रूग्ण उद्योगों का पुनर्वास/47/2017

प्रतिलिपिः– उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विद्युत वितरण कo लिo, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम.एस.एम.ई., पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।